[2024] 10 एस.सी.आर.1902:2024 आई एन एस सी 807

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2024 की आपराधिक अपील संख्या 4324)

22 अक्टूबर 2024

[बी.आर.गवई एवं के.वी.विश्वनाथन, न्यायमूर्तिगण]

विचारण के लिए मुद्दा

बैंक और उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपास्त करने का निर्धारण करते समय जांच की प्रकृति क्या है?

हेडनॉट्स

आपराधिक कानून - भ. दं. सं. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्व - एक विधिक व्यक्ति के लिए आपराधिक मनःस्थिति का प्रश्न नहीं उठता है:

अभिनिर्धारित: प्राथमिकी में धारा 420 के अंतर्गत अपराध बनाए जाने हेतु निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का खुलासा होना आवश्यक है: (i) यह कि आरोपी ने प्रारंभ से ही किसी व्यक्ति को प्रलोभित किया हो; (ii) यह कि उक्त प्रलोभन धोखाधड़ी या बेईमानी से किया गया हो; (iii) यह कि प्रलोभन के समय 'आपराधिक मनःस्थिति विद्यमान रहा हो। चूँकि आरोपी/बैंक एक विधिक व्यक्ति है, अतः 'आपराधिक मनःस्थिति के प्रश्न का उद्भव नहीं होता। तथापि, प्राथमिकी को पढ़ने पर ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता कि आरोपी/बैंक अथवा उसके कर्मचारियों ने किसी को धोखे से संपत्ति सौंपने हेतु बेईमानी से प्रलोभित किया हो और उस समय 'आपराधिक मनःस्थिति मौजूद रहा हो। अतः, धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध को आकर्षित करने के आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं हैं। [पैरा 20 और 21]

आपराधिक विधि- धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता– प्राथमिकी को अपास्त करना- प्रथम दृष्टया जांच कि प्राथमिकी में अपराध के आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं हैं या नहीं ।

आपराधिक विधि- भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409 और 462 के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्वः

अभिनिर्धारित: धारा 409 भा. दं. सं. के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है: (क) यह कि किसी व्यक्ति के पास, लोक सेवक, बैंकर आदि के रूप में, किसी संपत्ति का अभिरक्षण या उस संपत्ति पर नियंत्रण सौंपा गया हो; (ख) यह कि उक्त व्यक्ति ने उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्यासभंग किया हो।- आपराधिक न्यासभंग का मामला स्थापित करने हेतु यह दर्शाना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को संपत्ति का अभिरक्षण सौंपा गया था, उसने उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया हो, उसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया हो, या बेईमानी से उसका निपटारा किया हो। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी/बैंक के पास कोई संपत्ति सौंपी गई थी जिसका उसने दुरुपयोग या गबन किया हो। अतः, धारा 406 और 409 भा.दं.सं. के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। चूँकि आरोपी/बैंक के पास कोई संपत्ति का अभिरक्षण नहीं हुआ था, इसलिए धारा 462 भा.दं.सं. के तत्व भी लागू नहीं होते। [पैरा 22 से 25]

आपराधिक विधि - प्राथमिकी को अपास्त करना:

अभिनिर्धारित: हरयाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य [1990] एसयूपीपी 3 एससीआर 259 : 1990 आईएनएससी 363 : (1992) एसयूपीपी 1 एससीसी 335 के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते, या यदि प्राथमिकी में किए गए आरोप और उसके समर्थन में एकत्र साक्ष्य स्वीकार करने पर भी किसी अपराध के घटित होने का संकेत नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकी को अपास्त किया जा सकता है। [पैरा 28 और 29]

उल्लेखित निर्णय

अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य [2020] 11 एससीआर 896 : 2020 आईएनएससी 665 : (2021) 2 एससीसी 427 – को संदर्भित किया गया।

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजनलाल एवं अन्य [1990] एसयूपीपी 3 एससीआर 259 : 1990 आईएनएससी 363 : (1992) एसयूपीपी 1 एससीसी 335 – को संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

प्राथमिकी को अपास्त करना; भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व; भा.दं.सं. की धाराओं 406 और 409 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व।

प्रकरण का उद्भव

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 4324/2024

पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1375/2021 में पारित दिनांक 08.06.2022 के निर्णय और आदेश से उद्भूत

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति:

अपीलकर्ता की ओर से:

नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता; विक्रम बी. त्रिवेदी, फैसल सैयद, नगरकट्टी कार्तिक उदय, सानिध्य कुमार, सुश्री पृथ सुरी, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से:

मनीष कुमार, दिव्यांश मिश्रा, वेंकटरमण चंद्रशेखर भारती, एच. आर. राव, सुश्री प्रियांका टेर्डल, उदय खन्ना, शशांक बाजपेई, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 8 जून, 2022 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसमें आपराधिक रिट याचिका संख्या 1375/2011 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान अपीलकर्ता, एचडीएफसी बैंक[1] द्वारा गांधी मैदान थाना, पटना में 22 नवंबर, 2021 को दर्ज प्राथमिकी[2] संख्या 549/2021 को अपास्त करने के लिए दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता-बैंक की एग्जीबिशन रोड

1 इसके बाद 'अपीलकर्ता-बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा

2 संक्षेप में 'एफआईआर'

शाखा, पटना में कार्यरत कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860[3] की धारा 34, 37, 120 बी, 201, 206, 217, 406, 409, 420 और 462 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप में दर्ज की गई थी।

3. वर्तमान अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं:-

3.1 अक्टूबर, 2021 में, श्रीमती प्रियंका शर्मा, उप निदेशक, आयकर (अन्वेषण), यूनिट-2(2), जो वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 5 हैं, ने कई आयकर निर्धारकों के मामलों में खोज और जब्ती की कार्रवाई की। इनमें श्री सुनील खेमका (एच.यू.एफ.), श्रीमती सुनीत खेमका और श्रीमती शिवानी खेमका के मामलों में भी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शामिल थी, जो खतरूका निवास, दक्षिण गांधी मैदान, पटना की तीसरी मंजिल पर स्थित है। उक्त तलाशी और जब्ती की कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(1) के अंतर्गत जारी प्राधिकरण वारंट के आधार पर की गई थी। तलाशी के दौरान यह पाया गया कि श्रीमती सुनीता खेमका के नाम पर अपीलकर्ता बैंक की एग्जीबिशन रोड शाखा, पटना में लॉकर संख्या 462 मौजूद था।

3.2 उक्त कार्रवाई के आधार पर, 5 अक्टूबर, 2021 को, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता बैंक की एग्जीबिशन रोड शाखा, पटना के शाखा प्रबंधक को आयकर अधिनियम, 1961[4] की धारा 132(3) के अंतर्गत एक आदेश दिया गया। इस आदेश द्वारा उक्त शाखा को निर्देशित किया गया कि श्री सुनील खेमका (एच.यू.एफ.), श्रीमती सुनीता खेमका और श्रीमती शिवानी खेमका सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम से संचालित किसी भी बैंक लॉकर, बैंक खाता या सावधि जमा का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया, तो शाखा प्रबंधक आयकर अधिनियम की धारा 275ए के तहत उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3.3 उक्त आदेश का पालन करते हुए, अपीलकर्ता बैंक ने आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों/संस्थाओं के बैंक खातों, बैंक लॉकर्स और सावधि जमा का संचालन रोक दिया। इसके अतिरिक्त, 7 अक्टूबर, 2021 को, अपीलकर्ता बैंक ने आदेश में वर्णित आयकर निर्धारकों के बैंक खातों को अवरुद्ध कर दिया और श्रीमती सुनीता खेमका के स्वामित्व वाले लॉकर संख्या 462 को भी सील कर दिया।

---

3 संक्षेप में 'आईपीसी'

4 संक्षेप में 'आईटी एक्ट'

3.4 इसके पश्चात, 1 नवम्बर, 2021 को, प्रतिवादी संख्या 5 ने अपीलकर्ता बैंक की उपरोक्त शाखा के शाखा प्रबंधक को एक आदेश जारी किया, जिसमें 5 अक्टूबर, 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के तहत पारित प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में, श्रीमती सुनीता खेमका तथा तीन अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया गया। तदनुसार, उक्त व्यक्तियों, जिनमें श्रीमती सुनीता खेमका भी शामिल थीं, को उनके बैंक खातों के संचालन की अनुमति दी जानी थी। यह आदेश अपीलकर्ता बैंक के संबंधित शाखा प्रबंधक को 8 नवम्बर, 2021 को अपराह्न 4:00 बजे प्राप्त हुआ। हालांकि, 2 नवम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11:24 बजे, शाखा प्रबंधक को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें वही आदेश संलग्न था।

3.5 इसके बाद, 9 नवम्बर, 2021 को, अपीलकर्ता बैंक की संबंधित शाखा ने श्रीमती सुनीता खेमका को उनके लॉकर संख्या 462 का संचालन करने की अनुमति दी और उक्त लॉकर के संचालन से संबंधित उचित प्रविष्टियाँ बैंक के अभिलेखों में की गईं।

3.6 इसके पश्चात, 20 नवम्बर, 2021 को, प्रतिवादी संख्या 5 ने अपीलकर्ता बैंक की संबंधित शाखा में उपरोक्त बैंक लॉकर पर एक बार फिर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की, जिसमें यह पाया गया कि श्रीमती सुनीता खेमका ने अपीलकर्ता बैंक के संबंधित अधिकारियों की सहायता से अपने बैंक लॉकर का संचालन किया था। यह तथ्य बैंक के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों तथा बैंक के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्रमाणित हुआ। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता बैंक की उपरोक्त शाखा के संबंधित अधिकारियों द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाया गया।

3.7 तदनुसार, 20 नवंबर, 2021 को प्रतिवादी संख्या 5 ने आईटी अधिनियम की धारा 131 (1ए) के तहत आभा सिन्हा-शाखा प्रबंधक, अभिषेक कुमार-शाखा संचालन प्रबंधक और दीपक कुमार-टेलर प्राधिकरण को समन जारी किया, जो अपीलकर्ता-बैंक की उपरोक्त शाखा के संबंधित अधिकारी हैं।

3.8 उपरोक्त अधिकारियों ने प्रतिवादी संख्या 5 के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बयानियाँ दर्ज कराई, जिसमें अभा सिन्हा और अभिषेक कुमार ने यह कहा कि बैंक अधिकारियों की ओर से एक अव्यक्त त्रुटि हुई थी और उन्होंने 1 नवम्बर, 2021 के आदेश का गलत अर्थ निकाला था। चूंकि उक्त आदेश संबंधित व्यक्तियों, जिनमें श्रीमती सुनीता खेमका भी शामिल थीं, के बैंक खातों से संबंधित था, बैंक अधिकारियों ने आदेश को इस प्रकार गलत समझा कि प्रतिबंध का हटाना बैंक लॉकरों पर भी लागू होता है। आदेश को गलत समझने के

कारण, बैंक अधिकारियों ने एक सद्भावना के साथ यह मानते हुए कि बैंक लॉकर का भी प्रतिबंध हटा दिया गया था, श्रीमती सुनीता खेमका को अपना लॉकर संचालित करने की अनुमति दी।

3.9 श्रीमती सुनीता खेमका का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके लेखाकार सुरेन्द्र प्रसाद ने दीपक कुमार से बातचीत करने के बाद उन्हें सूचित किया था कि उपरोक्त बैंक लॉकर पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है और वह उक्त लॉकर का संचालन कर सकती हैं। हालांकि, दीपक कुमार ने अपने बयान में इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया।

3.10 उक्त स्पष्टीकरणों से असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी संख्या 5 ने गांधी मैदान थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि श्रीमती सुनीता खेमका और संबंधित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की जाए, इस आधार पर कि 5 अक्टूबर, 2021 के आदेश का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि उपरोक्त लॉकर का अवैध रूप से संचालन किया गया।

3.11 उक्त शिकायत के आधार पर, 22 नवम्बर, 2021 को गांधी मैदान थाना, पटना में प्राथमिकी संख्या 549/2021 दर्ज की गई, जिसमें श्रीमती सुनीता खेमका और अपीलकर्ता बैंक की उपरोक्त शाखा के कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 37, 120बी, 201, 207, 217, 406, 409, 420 और 462 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया।

3.12 प्राथमिकी के दर्ज़ किए जाने से व्यथित, अपीलार्थी-बैंक ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[5] की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत एक आपराधिक रिट याचिका दायर की, उक्त प्राथमिकी को अपास्त हेतु, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसमें कोई योग्यता नहीं है।

3.13 इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गयी है।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार और प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेंकटरमण चंद्रशेखर भारती को सुना।

5 इसके बाद इसे 'सीआर. पी सी' कहा जाएगा

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल प्रस्तुत करते हैं कि प्राथमिकी को प्रथम दृष्टि से मूल रूप में देखने पर भी, यह अपीलार्थी- बैंक के अधिकारियों के किसी भी आपराधिक मनःस्थिति को प्रकट नहीं करती है, और न ही यह किसी अपराध के घटित होने को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत में अपीलकर्ता बैंक के अज्ञात कर्मचारियों और श्रीमती सुनीता खेमका के बीच किसी मिलीभगत का कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं लगाया गया है। प्राथमिकी में अपीलकर्ता बैंक के अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध केवल एक आरोप लगाया गया है कि जब 5 अक्टूबर 2021 का प्रतिबंधात्मक आदेश लॉकर संख्या 462 के संबंध में प्रभावी था, तब अपीलकर्ता बैंक की ग्राहक श्रीमती सुनीता खेमका को उक्त बैंक लॉकर संचालित करने की अनुमति दी गई।

6. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि आरोपों को उनकी पूर्णता में स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी वे धारा 420, 409, 406, 462, 206, 217, 201, 34, 120बी और 37 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उल्लिखित अपराधों के घटित होने का कोई संकेत नहीं देते। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर याचिका पर विचार करता है, तो उसे यह परीक्षण करना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया प्राथमिकी में अपराध के आवश्यक तत्व विद्यमान हैं या नहीं। इस संदर्भ में, इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया: *अरनब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*[6], और *दिल्ली रेस क्लब **(1940)** लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*[7]।

7. श्री कौल ने इस न्यायालय के निर्णयों *"हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य*[8] के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपीलार्थी-बैंक और/या उसके कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन जारी रखना अनुचित कठिनाई और न्याय की विफलता के बराबर होगा।

8. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय मामले की लघु विचारण नहीं कर सकता। यह भी तर्क

---

6 [2020] 11 एससीआर 896:(2021) 2 एससीसी 427

7 [2024] 8 एससीआर 670:2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2248

8 [1990] एसयूपीपी 3 एससीआर 259:(1992) एसयूपीपी 1 एससीसी 335

प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने *आर वेंकटकृष्णन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो*[9] के मामले में यह निर्णय दिया है कि यद्यपि कोई बैंक या वित्तीय संस्था को अंतिम रूप से हानि न भी हो, फिर भी यदि पैसे को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से और अवैध उद्देश्य से उपयोग करने दिया गया हो, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तत्व आकर्षित होंगे।

9. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि श्रीमती सुनीता खेमा को बैंक लॉकर तक पहुँच प्रदान करना, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के आदेश का उल्लंघन था, भारतीय दंड संहिता की धारा 409 सहपठित धारा 405 के अंतर्गत के अपराध को आकर्षित करेगा।

10. यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने उचित तरीके से ही, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों सहित *नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य*[10] पर भरोसा करते हुए यह माना कि उच्च न्यायालय किसी संज्ञेय अपराध की जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह पुलिस का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों में निहित है।

11. उन्होंने आगे कथन कि यह भी समान रूप से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय प्राथमिकी/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकता है।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से हमने अभिलेखों की जांच की है। इस संदर्भ में 5 अक्टूबर, 2021 को अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

> "**विषय:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के अंतर्गत बैंक खातों, लॉकरों, सावधि जमा आदि के संबंध में आदेश,- के संबंध में,
>
> महोदय,
>
> आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(1) के तहत, नीचे उल्लिखित व्यक्ति के कार्यालय/आवासीय/व्यावसायिक परिसर में किए गए तलाशी अभियान के संबंध में, आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तुरंत प्रभाव से नीचे उल्लिखित नामों चाहे वे खाते अकेले या संयुक्त रूप से हों, में स्थित बैंक लॉकरों, बैंक खातों और सावधि

---

9 [2009] 12 एससीआर 762:(2009) 11 एससीसी 737

10 [2021] 4 एससीआर 1044: (2021) 19 एससीसी 401

जमा (यदि कोई हो) का संचालन रोक दें, यह आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है।

क्रमांक	व्यक्ति का नाम और पता	बैंक लॉकरों/ खातों/ जमाराशि का विवरण
1	सुनील कुमार खेमका	
2	सुनील कुमार खेमका (एचयूएफ)	
3	सुनीता खेमका	
4	सलोनी खेमका	
5	शिवानी खेमका	
6	शारदा देवी खेमका	
7	शारदा ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	
8	ग्रेविटी सेल्स एजेंसी प्राइवेट लि0	
9	स्पर्श टाई अप प्राइवेट लिमिटेड	
10.	एस. एस. बायोलाइफ प्राइवेट लि0	
11.	एन. सी. एल. सिंथेटिक प्राइवेट लि0	
12.	ग्रीन एंगिकॉन प्रा. लि.	
13.	गुलमोहर व्यपार प्राइवेट लिमिटेड	
14.	लॉर्ड डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड	
15.	पैरामाउंट वित्तीय प्रबंधन	
16.	माँ जगदम्बा सेवा समिति न्यास	

2. इस आदेश का उल्लंघन आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 275ए के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी बना देगा, जिसमें दो वर्षों तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

3. आपसे अनुरोध है कि इन खातों में विद्यमान शेष राशि की जानकारी **तुरंत** इस पत्र के वाहक को दें और खाता खुलने की तिथि से अब तक की खाता विवरणी के साथ-साथ खाता खोलने के फॉर्म की प्रति इस कार्यालय को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर भेजें।

13. यह भी उपयुक्त होगा कि 1 नवम्बर 2021 को जारी किया गया आयकर उप निदेशक (अन्वेषण) यूनिट-2(2), गुवाहाटी द्वारा जारी निरसन आदेश का संदर्भ लिया जाए, जो इस प्रकार है:-

> "विषय: बैंक खातों, लॉकरों, सावधि जमा आदि के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के अंतर्गत जारी आदेश की निरस्तीकरण के संबंध में।
>
> संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र संख्या डीआईएन/ एसी/ डीडीआईटी/ यू2(2)/ जीएचवाई/ 2021-22, दिनांक 05.10.2021
>
> इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के निम्नलिखित बैंक खातों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लगाए गए थे। आपकी अनुमति से, केवल इन नीचे उल्लिखित बैंक खातों पर लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त किया जा सकता है और उन्हें इन खातों का संचालन करने की अनुमति दी जा सकती है।

क्रमांक	खाताधारक का नाम	खाता संख्या
1	सुनील कुमार खेमका (एचयूएफ)	01861000049315
2	सुनील कुमार खेमका	1861530001080
3	सुनीता खेमका	1861530001097
4	शिवानी खेमका	1861460006152

14. अतः यह देखा जा सकता है कि यद्यपि दिनांक 5 अक्टूबर 2021 के आदेश के द्वारा बैंक लॉकरों, बैंक खातों एवं सावधि जमाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश लगाया गया था, लेकिन 1 नवंबर 2021 का निरसन आदेश केवल बैंक खातों को संदर्भित करता है।

15. अपीलकर्ता-बैंक के अधिकारियों के बयानों में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 1 नवम्बर 2021 के निरसन आदेश की गलत व्याख्या करके बैंक लॉकर को अनजाने में संचालित करने की अनुमति दी गई थी।

16. वर्तमान मामले में, हम केवल उस प्राथमिकी पर विचार कर रहे हैं जो भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई है।

17. प्राथमिकी आयकर उप निदेशक (अन्वेषण), यूनिट-2(2), गुवाहाटी, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। शिकायत में बैंक और उसके अधिकारियों के संबंध में किया गया एकमात्र कथन/आरोप इस प्रकार है:-

> "हालांकि यह प्रकाश में आया है कि दिनांक 05.10.2021 को आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अंतर्गत लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश उल्लंघन एवं भंग किया गया है। 20.11.2021 की प्राधिकृत वारंट के आधार पर बैंक लॉकर संख्या 462 की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि श्रीमती सुनीता खेमका ने 09.11.2021 को उक्त लॉकर का संचालन किया था। एचडीएफसी बैंक द्वारा रखे गए लॉकर रजिस्टर में उल्लेख है कि श्रीमती सुनीता खेमका ने सुबह 11:53 बजे लॉकर का संचालन किया। सीसीटीवी फुटेज से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि श्रीमती सुनीता खेमका ने एचडीएफसी बैंक, एग्जीबिशन ब्रांच, पटना की सहायता से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने लॉकर संख्या 462 का अवैध रूप से संचालन किया।"

18. यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस न्यायालय द्वारा *अर्णब मनोरंजन गोस्वामी* बनाम राज्य ***(उपरोक्त)*** मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:-

> **"62.** अब इस पृष्ठभूमि में, यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी की विषयवस्तु की संक्षेप में चर्चा की जाए। प्राथमिकी में उल्लेख है कि सूचक के पति की एक कंपनी थी जो वास्तुकला, आंतरिक सज्जा और अभियांत्रिक परामर्श का कार्य कर रही थी। सूचक के अनुसार, उनके पति पिछले दो वर्षों से 'दबाव में थे क्योंकि उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था'। प्राथमिकी में उल्लेख है कि मृतक ने अपीलकर्ता के कार्यालय में जाकर उसके एकाउंटेंट से भुगतान के संबंध में बात की थी। उपरोक्त कथनों के अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में यह लिखा गया था कि उसका "पैसा फंसा हुआ है और संबंधित कंपनियों के निम्नलिखित मालिक हमारी वैध देनदारियों का भुगतान नहीं कर रहे हैं।" प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती निर्णयों की श्रृंखला में स्थापित सिद्धांत के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अर्थों में आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये टिप्पणियां इस चरण पर केवल प्रथम दृष्टया हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक प्राथमिकी अपास्त करने की याचिका पर विचार नहीं किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि

उच्च न्यायालय ने न तो प्राथमिकी की विषयवस्तु पर ध्यान दिया और न ही प्रथम दृष्टया मूल्यांकन किया, जिससे यह कहा जा सकता है कि धारा 482 दंप्रसं के अंतर्गत याचिका पर विचार करते समय उसने अपने कर्तव्यों, कार्यों एवं अधिकार क्षेत्र से विमुखता दिखाई। उच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि धारा 482 के अंतर्गत अपास्त करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। किंतु ये शब्द मात्र कोई औपचारिक मंत्रोच्चार नहीं हैं, बल्कि उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशिष्ट प्राथमिकी की विषयवस्तु के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाना आवश्यक है। यदि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मूल्यांकन किया होता, तो उसके लिए यह अनदेखा करना असंभव होता कि प्राथमिकी और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के प्रावधानों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। उच्च न्यायालय की यह चूक, कि उसने यह मूल्यांकन नहीं किया, उसे इस स्थिति तक ले आई कि उसने अपीलकर्ता को धारा 439 के अंतर्गत नियमित जमानत के उपायों का सहारा लेने के लिए छोड़ दिया।अंतरिम चरण में ही सही, धारा 482 के अंतर्गत याचिका का मूल्यांकन करते समय जो कर्तव्य उच्च न्यायालय पर निहित था, उसका निर्वहन न कर पाना स्पष्ट रूप से एक त्रुटि थी।

63. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर की गई थी। धारा 482 के अंतर्गत प्राथमिकी को अपास्त करने की याचिका पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने यह नहीं परखा कि क्या प्रथम दृष्टया प्राथमिकी में अपराध के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यदि उच्च न्यायालय ने यह परीक्षण किया होता, तो (जैसा कि इस निर्णय में कहा गया है) यह स्पष्ट होता कि अपराध के तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होते हैं। धारा 482 के अंतर्गत अपने दायित्व का निर्वहन न करने के कारण, उच्च न्यायालय ने स्वयं को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर विचार करने की स्थिति से वंचित कर लिया। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी याचिका पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर सावधानीपूर्वक अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। तथापि, जब राज्य की शक्ति के दुरुपयोग के कारण किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से छीन लिया गया हो, तो उच्च न्यायालय को अपने अधिकारों के प्रयोग से स्वयं को रोकना नहीं चाहिए।"

19. वर्तमान मामले में, प्राथमिकी से यह स्पष्ट नहीं होता कि अपीलकर्ता-बैंक ने प्रारंभ से ही किसी को कोई प्रलोभन दिया हो।

20. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध को स्थापित करने के लिए, प्राथमिकी में निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख होना चाहिए:

(क) यह कि अपीलकर्ता-बैंक ने प्रारंभ से ही किसी को प्रलोभित किया हो;

(ख) यह कि उक्त प्रलोभन धोखाधड़ी या बेईमानी से किया गया हो; और

(ग) यह कि ऐसे प्रलोभन के समय आपराधिक मनःस्थिति अस्तित्व में रही हो।

21. अपीलकर्ता-बैंक एक विधिक व्यक्ति है और इस प्रकार, आपराधिक *मनःस्थिति* का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। हालांकि, यहां तक कि प्राथमिकी और शिकायत को उनके सामान्य रूप में अध्ययन पर भी, ऐसा कुछ नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ता-बैंक या इसके कर्मचारियों ने किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी से प्रलोभित किया हो ताकि वह किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति को सौंपे, और यह कि ऐसा प्रोत्साहन देने के समय आपराधिक मनःस्थिति अस्तित्व में रही थी। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं हैं।

22. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के प्रावधानों का संबंध है, निम्नलिखित तत्वों को स्थापित करना आवश्यक होगा:

(क) यह कि किसी व्यक्ति के पास, लोक सेवक, बैंकर आदि के रूप में, किसी संपत्ति का अभिरक्षण या उस संपत्ति पर नियंत्रण सौंपा गया हो;

(ख) यह कि उक्त व्यक्ति ने उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्यासभंग किया हो।

23. आपराधिक न्यासभंग का मामला स्थापित करने हेतु यह इंगित करना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को संपत्ति का अभिरक्षण सौंपा गया था, उसने उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया हो, उसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया हो, या बेईमानी से उसका निपटारा किया हो।

24. वर्तमान मामले में, यह आरोप तक नहीं लगाया गया है कि किसी संपत्ति का ऐसा कोई प्रभार अपीलकर्ता-बैंक को सौंपा गया हो, जिसका उसने दुरुपयोग किया हो या उसे अपने उपयोग में ले लिया हो जिससे प्रतिवादी संख्या 5 को कोई क्षति पहुँची हो। अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 एवं 409 के प्रावधान भी इस मामले में लागू नहीं होंगे।

25. जैसा कि ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, चूंकि अपीलकर्ता-बैंक को किसी भी संपत्ति का कोई अभिरक्षण नहीं सौंपा गया था, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 462 के आवश्यक तत्व भी इस मामले में लागू नहीं होते हैं।

26. इसी प्रकार, चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 206, 217 और 201 के तहत अपराधों में आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता होती है, इसलिए उक्त धाराओं के आवश्यक तत्व भी अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ उपलब्ध नहीं होंगे।

27. प्राथमिकी/शिकायत में यह भी नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता-बैंक और इसके अधिकारियों ने किसी सामान्य उद्देश्य से कार्य किया हो या किसी आरोपित अपराध को जानबूझकर मिलकर अंजाम दिया हो। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 37 और 120B के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे।

28. यह प्रासंगिक होगा कि इस न्यायालय द्वारा ***भजन लाल एवं अन्य*** **(उपर्युक्त)** के मामले में किए गए निम्नलिखित अवलोकनों का उल्लेख किया जाए:

> "**102.** संहिता के अध्याय XIV के अंतर्गत विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों या संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित प्रकार के मामलों की श्रेणियों को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जिनमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के हितों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है — यद्यपि यह संभव नहीं है कि ऐसे शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित, पर्याप्त रूप से मार्गदर्शित और कठोर दिशा-निर्देश या अटल सूत्र निर्धारित किए जाएं या उन अनेकों प्रकार के मामलों की एक समग्र सूची प्रस्तुत की जाए, जिनमें इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।"
>
> (1) जब प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, यदि उन्हें उनके सामान्य रूप में स्वीकार भी कर लिया जाए और संपूर्ण रूप से सच माना जाए, तब भी वे प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते।
>
> (2) जब प्राथमिकी और उसके साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती, जो कि संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत

पुलिस अधिकारी द्वारा जांच को उचित ठहराती हो, सिवाय दंडाधिकारी द्वारा संहिता की धारा 155(2) के तहत आदेश दिए जाने की स्थिति में।

(3) जब प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अविवादित आरोप तथा उनके समर्थन में एकत्रित साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का संकेत नहीं देते और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते।

(4) जब प्राथमिकी में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, और ऐसे में संहिता की धारा 155(2) के तहत दंडाधिकारी के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जब प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने असंगत और स्वाभाविक रूप से असंभव प्रतीत होते हैं कि जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार है।

(6) जब संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही की गई है) में किसी स्पष्ट विधिक निषेध का प्रावधान हो, जिससे कार्यवाही की शुरुआत या उसकी निरंतरता अवरुद्ध होती हो; और/या जब संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण हेतु कोई प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध हो।

(7) जब कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित हो और/या उसे बदले की भावना से, किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण या अभियुक्त को परेशान करने के लिए दुर्भावनापूर्वक शुरू किया गया हो।

103. हम सावधानीपूर्वक यह भी इंगित करते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को अपास्त करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सीमित रूप में और अत्यधिक सतर्कता के साथ ही किया जाना चाहिए, और वह भी केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में; न्यायालय इस आधार पर जांच शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं होगा कि प्राथमिकी या शिकायत में किए गए आरोप विश्वसनीय हैं या नहीं, अथवा वे सही हैं या नहीं; और यह कि असाधारण या निहित शक्तियाँ न्यायालय को अपनी इच्छा या मनमानी के अनुसार कार्य करने का कोई निरंकुश अधिकार नहीं देतीं।

29. हम पाते हैं कि वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा *भजन लाल और अन्य* **(**उपर्युक्त**)** के मामले में प्रतिपादित विधि के श्रेणियाँ (2) और (3) के तहत पूरी तरह से आता है।

30. हमारा विचार है कि अपीलकर्ता बैंक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से अपीलकर्ता बैंक को अनावश्यक कठिनाई होगी।

31. परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(i) अपील स्वीकृत की जाती है।

(ii) पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 8 जून 2022 को पारित किया गया उक्त निर्णय और आदेश, जो कि आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 1375/2021 में दिया गया था, अपास्त और निरस्त किया जाता है।

(iii) गांधी मैदान पुलिस थाना, पटना में 22 नवंबर 2021 को अपीलकर्ता-बैंक के एक्जिबिशन रोड शाखा, पटना में कार्यरत कुछ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 37, 120बी, 201, 206, 217, 406, 409, 420 और 462 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत प्राथमिकी (कांड संख्या 549/2021) भी अपीलकर्ता-बैंक के संबंध में अपास्त और निरस्त की जाती है।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत की गई।

हेडनोट्स तैयार किया गया: विधि ठाकर, माननीय, एसोसिएट एडीटर

(सत्यापित किया गया: कनु अग्रवाल, अधिवक्ता)